अति महत्वपूर्ण

संख्या- 08/2025/21/सैतालीस-का-5-2024-(1884274)

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक : 06-02-2025**

विषयः-समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों के वर्ष 2023-24 की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या- 03/2025/09/सैतालीस-का-2025 (1884274), दिनांक 17.01.2025 एवं 14/सैतालीस-का-2025 (1790489), दिनांक 22.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा वर्ष 2023-2024 के ऑनलाइन गोपनीय प्रविष्टियां हेतु वर्कफ्लो जनरेशन के लिए दिनांक 22.01.2025 से बढ़ाकर 26.01.2025 तक का अतिरिक्त समय निर्धारित करते हुए स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता मन्तव्य अंकन हेतु क्रमशः दिनांक 27.01.2025, 01.02.2025, 06.02.2025 एवं दिनांक 11.02.2025 तक समय प्रदान किया गया है। यह खेद का विषय है कि स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी कई विभागों में समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की ऑनलाइन गोपनीय प्रविष्टियां अंकित किये जाने की कार्यवाही अभी भी पूर्ण नहीं हो सकी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आलोच्य वर्ष 2023-24 की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन अंकित किये जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

(1) अद्यतन वर्क-फ्लो प्रीफिक्स न किए जाने हेतु पूर्व निर्गत निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित नोडल अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

(2) कार्मिकों का हित प्रभावित न हो इस उद्देश्य से वर्ष 2023-2024 के ऑनलाइन गोपनीय प्रविष्टियां हेतु वर्कफ्लो जनरेशन के लिए दिनांक 12.02.2025 तक का अतिरिक्त समय निर्धारित करते हुए स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता मन्तव्य अंकन हेतु क्रमशः दिनांक 16.02.2025, 20.02.2025, 24.02.2025 एवं दिनांक 28.02.2025 तक समय प्रदान किया जाता है। उपरोक्त निर्धारित समयावधि में समस्त अपेक्षित कार्यवाही अवश्य ही पूर्ण करा ली जाए।

(3) निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत क्रमशः स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता मन्तव्य अंकित न करने पर प्रश्नगत प्रक्रिया अगले स्तर हेतु स्वतः अग्रेनित (Auto Forward) हो जाएगी। उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।
12. श्री अजय गोपाल भरतरिया, वरिष्ट निदेशक(आई०टी०), एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।